FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Panchkula **Year (वर्ष):** 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0018 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 29/12/2025 17:11 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 04/03/2022 **Date To (दिनांक तक):** 29/12/2025

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 16:20 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 29/12/2025 **Time (समय):** 16:39 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 009 **Date and Time (दिनांक और समय):** 29/12/2025 16:39 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** EAST, 03 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): सैक्टर -12 नगर निगम पंचकुला,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** DSP VIJAY KUMAR HPS

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 04/08/1970 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**PS SV AND ACB PKL, ACB, Panchkula, State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**PS SV AND ACB PKL, ACB, Panchkula, State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9194678132

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	तत्कालीन पटवारी सुरजीत			1. नगर निगम कार्यालय पंचकुला, PANCHKULA,HARYANA,INDIA
2	ए.पी.ओ. सुशील कुमार			1. नगर निमग कार्यालय पंचकुला, PANCHKULA,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

नकल लेख इस प्रकार से है

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,
राज्य सतर्कता एवं भ्र.नि.ब्यूरो,
पंचकुला मण्डल पंचकुला ।

विषय:- नगर निगम के तत्कालीन पटवारी सुरजीत व मौजूदा ए.पी.ओ. सुशील कुमार द्वारा डरा-धमका कर दुकान तोड़ने की धमकी देकर दिनांक 04.03.2022, समय 4:20 शाम को फाईल पास करने के लिये 73,000/- रुपयें रिश्वत लेने बारे ।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, रा.चौ. एवम भ्र.नि. ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के पत्र क्रमांक 4113/शिकायत /51/पंचकुला/2025, दिनांक 10.03.2025 अनुसार श्री अमित कुमार. दुकान न. 2. गांव माजरी पंचकुला की शिकायत मय रिर्कोडिंग सी.डी. कार्यालय पुलिस अधीक्षक, रा.चौ. एवम भ्र.नि. ब्यूरो, पंचकुला के डायरी नम्बर 159 दिनांक 24.03.2025 अनुसार तसदीक हेतू प्राप्त हुई थी । जो शिकायत का मजबून इस प्रकार से है " सेवा में, माननीय पुलिस अधीक्षक, एंटी करप्शन ब्यूरो पंचकूला । विषय- नगर निगम के तत्कालीन पटवारी सुरजीत व मौजूदा ए.पी.ओ. सुशील कुमार द्वारा डरा-धमका कर दुकान को तोड़ने की धमकी देकर दिनांक 4/3/2022 को फाईल पास करने के लिए 73,000/- रिश्वत लेने के बारे में । निवेदन, यह है कि मेरी माता जी अनीता रानी जिनकी उम्र तकरीबन 72 साल है, उनके नाम पर नगर निगम की दुकान नंबर 2 गांव माजरी पंचकूला आबादी देह किराए पर है, जिसका किराया समय पर नगर निगम पंचकूला में अदा करते रहते हैं । हरियाणा सरकार ने 2021 में मुख्यमन्त्री स्वामित्व योजना बनाई थी, जिन किरायेदारों को 20 साल से ऊपर किराए पर हो गए थे, उनको मालिकाना हक देने के लिए यह योजना बनाई थी । फिर मेरी माता जी ने इस योजना का लाभ लेने के लिए SSH/PANC/1 दिनांक 30 जुलाई 2021 को पोर्टल पर अप्लाई किया था । उसके बाद हमारी फाईल ZTO पंचकूला के पास सैक्टर-4 में चली गई । फिर ZTO साहब ने हमें कुछ बकाया किराया जमा करवाने के लिए 497/ZTO दिनांक 01.02.2022 नोटिस दिया, उस नोटिस के तहत वह बकाया किराया जमा कर दिया, जिसकी रसीद हमारे पास है । फिर ZTO बोले अब आपकी फाईल बिल्डिंग ब्रांच सैक्टर-12, पंचकुला में भेज दी जायेगी । जब फाईल सैक्टर-12, पंचकुला में बिल्डिंग ब्रांच में चली गई, तो उसके बाद सुरजीत पटवारी व ए.पी.ओ. सुशील हमारी दुकान पर रोजाना किसी न किसी बहाने आने लगे और वह मेरी माता जी को डराने लगे कि तुम्हारी दुकान का एरिया ज्यादा है । इसी तरह वह दुकान नंबर 3 के दुकानदार प्रदीप आहूजा को भी ब्लैकमेल करने लग गए थे । फिर मेरी माता जी बोली और प्रदीप आहुजा बोला आपने पहले हमारे फर्श व शेड तो दिनांक 15.02.2022 को जे. सी.बी. लाकर तोड़ दिए हैं । फिर सुशील ए.पी.ओ. दुकानों की दीवारों पर हाथ मार-मार कर बोलने लगा, इतनी तो आपकी दुकान टूटेगी ही, फिर हमने बोला दुकान तो नगर निगम की है, हम एंकोचमेंट कैसे कर सकते हैं, मालिक तो नगर निगम पंचकुला है, हम तो सिर्फ किरायेदार है, फिर हमने उनको प्रॉपर्टी टैक्स के बिल दिखाए, जिसमें हमारी दुकान का एरिया मैंशन किया हुआ था। सुशील एपीओ बोला प्रोपर्टी टैक्स के बिल को हम नहीं मानते, फिर हमसे रोजाना पैसे की डिमांड करने लग गया, फिर सुरजीत पटवारी और एपीओ सुशील ने मुझे सेक्टर-12 नगर निगम के कार्यालय में एक दिन बुलाया और बोले तुम हमें पैसे दे दो, हम तुम्हारी फाईल पास कर देंगे, फिर मैनें 73000/- सुरजीत पटवारी को दे दिए । उसके बाद फिर सुशील एपीओ ने 4 मार्च 2022 को समय 4:20 शाम को मुझे बुलाकर कहा कि तुम्हारी फाईल और दुकान का एरिया पास हो गया है, अब तुम्हारी दुकान को नगर निगम वाले नहीं तोड़ेंगे, जिस पर सुशील एपीओ, सुरजीत पटवारी और नायब तहसीलदार के और एटीपी के साईन है । फिर सुशील एपीओ बोला यह लो तुम्हारी पास कर ही मौका रिपोर्ट जिसकी कॉपी साथ संल्गन है । इसके कुछ दिनों बाद नगर निगम ने किसी विषय में सुरजीत पटवारी को हटा दिया । फिर बिल्डिंग ब्रांच में सुशील ही दुकानों का काम देखने लगा । कुछ दिन बीत जाने के बाद सुशील एपीओ 5 लाख की डिमांड करने लग गया, बोला, अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी फाईलें रिजेक्ट कर दूंगा और कहने लगा पंचकुला में प्रोपर्टी की इतनी कीमत है ओर पैसे दे दोगे, तो क्या होगा, जब मैंने बोला कि जो पहले पैसे दिए थे तो उसका क्या हुआ, तो सुशील बोलने लगा वह तो पटवारी जाने । फिर मैंने सुरजीत पटवारी से बात करी, जिसकी रिकॉर्डिंग सी.डी. की कॉपी साथ संल्गन है, जिसमें सुरजीत पटवारी कबुल रहा है कि मैंने 73000 काम करने के लिए लिए थे और जायज काम के लिए लिए थे और सुरजीत पटवारी कि और अपने आप बोल रहा है कि सुशील एपीओ 05 लाख रुपए मांगता है, जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने आपको सी.डी. में डालकर दे दी है।

उसके बाद सुशील कहने लगा सुरजीत पटवारी तो सस्पेंड हो गया है । अब BI राजेश चौहान तुम्हारी फाईलों को पास करने के लिए 05 लाख मांग रहा है । यह डिपार्टमेंट के अधिकारियों के नाम लेकर डरा-धमकाकर, ब्लैकमेल करके पैसे लेता है और सुशील हमें नोटिस देने को कह रहा था । फिर हमने चुपके से सिविल सुट फाईल कर दिया और माननीय न्यायाधीश ईराम हसन ने दिनांक 21.04.2022 को स्टे लगा दिया । सुशील फिर स्टे होने के बावजूद भी नहीं हटा । फिर उसने 26.04.2022 को 17 ft 8 inch एरिया तोड़ने का 2 दिन का समय देते हुए ATP से भी नोटिस जारी करवा दिया, जिसकी कॉपी साथ संल्गन है । फिर हमने इसकी शिकायत यूएलबी के ऑफिस KK Varshni CTP अर्बन लोकल बॉडीज को उनके मोबाईल नंबर 9416059202 व्हाट्सएप के जरिए शिकायत में रिकॉर्डिंग भेजी थी । उन्होंने अपने जवाब में लिखा था कि मैंने आपकी शिकायत डीएमसी अपूर्व चौधरी को भेज दी है, इसकी भी कॉपी साथ संल्गन है । उसके बाद 06.06.2023 को संयुक्त आयुक्त, नगर निगम पंचकूला द्वारा क्रमांक नंबर 5733/JC ने एक पत्र भेजा दिनांक 12.06.2023 को 11:30 बजे पेश होने के लिए बोला, मैं और मेरी माता जी दिनांक 12.06.2023 को 11:30 बजे उनके समक्ष पेश हुए, फिर उन्होंने हमारी बात सुनी और हाजिरी लगवाकर भेज दिया, फिर उन्होंने दिनांक 14.06.2023 को क्रमांक नंबर 6083/JC दोपहर 1:00 नगर निगम कार्यालय उपस्थित होने के लिए बुलाया, उस दिन मैं और मेरी माता जी फिर दोबारा गए, उन्होंने JC मैडम ने बोला आपने यह शिकायत यूएलबी के ऑफिस में दी है । अपने नगर निगम पंचकूला में शिकायत नहीं दी है। फिर हमने दिनांक 19.06.2023 को dairy number 7893 शिकायत नगर निगम कार्यालय पंचकूला में दी, जिसकी कॉपी संल्गन है। उस शिकायत पर JC मैडम ने कोई कार्रवाई नहीं करी और ना ही हमें दोबारा नगर निगम के कार्यालय में बुलाया, ऐसे अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो भ्रष्टाचारियों को बचाता है। हमने इस शिकायत के सम्बन्ध में आरटीआई फाईल करी, जिसका Dairy नंबर 12035 दिनांक 05.09.2023 उसका भी कोई जवाब नहीं मिला, जिसकी कॉपी साथ संल्गन है। यह दुकान हमारे पास 1987 से है, इतने साल से किराया जमा करवा रहे हैं, तब किसी नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों को एंक्रोचमेंट नजर नहीं आई, जब मालिकाना हक देने का समय आया, तब इनको एंक्रोचमेंट नजर आने लगी। फिर मेरा पड़ोसी दुकान नंबर 5 के मालिक नरेश कुमार हमें बोलने लगा तुम इन चक्करों में मत पड़ो, यह सरकारी मुलाजिम है और सुरजीत पटवारी और सुशील एपीओ की बहुत पहुंच वाले व्यक्ति है। इनके पास बहुत पैसा है, कहीं तुम मां-पुत्र को जान से ना मरवा दे, फिर इसलिए हम लोगों ने दोबारा शिकायत करने की कोशिश नहीं की । हम अपने आप को कई सालों से बड़ा ठगा हुआ महसूस कर रहे थे । माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी, जिन्होंने भ्रष्टाचारियों को सजा देने का प्रण ले रखा है, उनकी सरकार का काम देखकर हम में दोबारा हिम्मत जागी । मेरी माता जी एक सीनियर सिटीजन है और विधवा है, जो हमने इनको पैसे दिए थे, वह डर कर और मजबूरी में 73000/- दिए थे कि कहीं वह हमारी दुकान को ना तोड़ दें, जैसे उन्होंने पहले JCB लाकर हमारे फर्श को तोड़ दिया था, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि माननीय पुलिस अधीक्षक, एंटी करप्शन पंचकूला, आप ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों को सजा दिलवाने के लिए हमारी मदद करेंगे । धन्यवाद सहित हस्ताः Amit नाम अमित कुमार, दुकान नंबर 2. गांव माजरी, पंचकूला, मोबाइल नंबर-8054521813".

कार्यवाही पुलिसः- उपरोक्त शिकायत व संलग्न कागजात, फोटोग्राफ आदि का विश्लेषण किया गया जिस दौरान शिकायत के साथ संलग्न सी.डी. में सेव रिकार्डिंग को सुना गया जिसमें शिकायतकर्ता अमित के साथ एक व्यक्ति रिश्वत ली होने बारे बात करता सुनाई देता है । जो मेरे निर्देश अनुसार महिला सिपाही अन्नु द्वारा शिकायतकर्ता की पहचान अनुसार रिकार्डिंग की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई, जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार से है :-

"……………..

सुरजीत पटवारी -- ऐसा है भईया मैने तो अपनी रिपोर्ट कर दी थी।

अमित – हांजी ।

सुरजीत पटवारी - ठीक है अगर मैने कोई पैसे लिये थे तो मैंने अपनी रिपोर्ट कर दी थी।

अमित – हांजी ।

सुरजीत पटवारी - तुम्हारी फेवर में ।

………………

…………………..

सुरजीत पटवारी -- मेरे को कितनी फीस दी आपने ।

अमित-- मैं तां आपको पैसे दिये थे ओही जो जो पंजा हजार उस टेम फड़ा के गया सी बीस हजार ।

सुरजीत पटवारी - बिल्कुल।

अमित – हांजी ।

सुरजीत पटवारी –अच्छा ।

अमित -- बीस हजार बाद च फड़ाया सी ।

सुरजीत पटवारी-- अच्छा ।

अमित - हंजी हुण ओ केंदा मैनू बीस हजार ही मिले सुशील कुमार कह रहा ।

सुरजीत पटवारी- अच्छा।

अमित --आप बाताओ क्या करना है।

सुरजीत पटवारी ---नहीं पंजा हजार मेरे को कब फड़ाए भाई साहब आप ।

अमित -- क्यूं लाले दे नाल थोनू फड़ाके नी गये थे जी ।

सुरजीत पटवारी - ऐं।

अमित-- लाला के साथ थान्नु आपको फड़ाके नहीं गया ।

सुरजीत पटवारी-- बाद में। नहीं मैनें तो इसको दे दिए हुण बीस किसको दिये तन्ने

अमित-- बीस लाले को दोबारा दिया था बाद में दादे ने आपको दोबारा दिये बाद में केन्दा मैडम नाल आया सी पटवारी साहब उरे सब्जी वाले कोल खड़े थे मैं बीस हजार दित्ता है।

सुरजीत पटवारी --- ओ लाले लाले गेल मैं कर लूंगा गल बात।

सुरजीत पटवारी -- हमने रिपोर्ट करी के नही करी आपको।

अमित --- मैं तो कह आपने नही करी है। रहा हूं जी आपने करी मैं थोड़ी आपको कह रहा हूं

सुरजीत पटवारी -- हां फिर मैनें तो उसी चीज के पैसे लिये जो रिपोर्ट करी ।

अमित - हांजी।

सुरजीत पटवारी-- ठीक है ना इसको अलग वी तो पैसे पकड़ाये।

अमित -- पकड़ाये है जी 3,000 रुपयें मेरे ते एक दिन ले लिये ले गया सी दुकान से।

सुरजीत पटवारी --- हां हां तु क्यूं फड़ाये सी।

अमित -- मैनु तां लाले ने कहा केन्दा दे दे यार ऐनू 3,000 रुपयें दे दे आया होया।

--------------------------,,

जो शिकायत बारे विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करके पुलिस अधीक्षक, रा.चौ. एवम भ्र.नि.ब्यूरो, पंचकुला के कार्यालय के माध्यम से पत्र क्रमांक 1198 दिनांक 04.07.2025 अनुसार अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, रा.चौ. एवम भ्र.नि. ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला को प्रस्तुत की गई । जिस पर उनके कार्यालय के पत्र कमांक 20598/शिकायत/51/पंचकुला/2025, दिनांक 17.10.2025 अनुसार यह निर्देश प्राप्त हुये कि विश्लेषण रिपोर्ट के अध्ययन से यह पाया गया है कि शिकायत में उल्लेखित लोक सेवको के उपरोक्त कृत्य प्रथम दृष्ट्या आपराधिक प्रकृति के हैं । अतः नगर निगम के तत्कालीन पटवारी सुरजीत व ए.पी.ओ. सुशील कुमार द्वारा अपराध धाराधीन 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का किया जाना पाया गया है । इसलिये नियमानुसार उच्च अधिकारियों की अनुमति उपरांत यह लेख लिखकर संलग्न कागजात (1-93 पेज) व सीडी सहित अभियोग अंकित करने हेतू बदस्त एएसआई परमीत कुमार न. 383/अंबाला के आपके पास भेजा जा रहा है । अभियोग अंकित करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां बतौर स्पैशल रिपोर्ट स्पैशल जज अदालत पंचकुला व उच्च अधिकारियों की सेवा में भिजवाई जाये तथा अभियोग में आगामी अनुसंधान हेतू अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करके नकल मिसल अभियोग मय दस्तावेज आगामी कार्यवाही हेतू उसके हवाले की जाय।

अजः मुख्यालय रा.चौ.एवं भ्र.नि.ब्यूरो, पंचकूला ।

हस्ता :-SD VIJAY KUMAR
विजय कुमार नेहरा, ह.पु.से.,
उप पुलिस अधीक्षक,
थाना- रा.चौ.एवं भ्र.नि.ब्यूरो, पंचकूला मंडल, पंचकूला ।

दिनांक 29.12.2025

समय 3:30 PM

अज थाना- उपरोक्त तहरीर पर अभियोग नम्बर 18 दिनाँक 29.12.2025 धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 थाना राज्य चौकसी एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकुला अंकित करके स्पैशल रिपोर्ट ई. मेल के माध्यम से स्पैशल मैजीस्ट्रेट साहब, जिला पंचकुला की सेवा में व उच्च अधिकारियों की सेवा में भिजवाई जा रही है । असल तहरीर व अभियोग की पुलिस फाईल आगामी अनुसंधान हेतु अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करने के लिए उच्च अधिकारियों को अलग से पत्र लिखा जाएगा । इन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** VIJAY KUAMR NEHRA **Rank (पद):** Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): 20 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): PANKHURI KUMAR

Rank (पद): ACP (Assistant Commissioner of Police)

No. (सं.): HPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Error: Subreport could not be shown.